इकाई 27 भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्वव्यापीकरण

इकाई की रूपरेखा

27.0 उद्देश्य
27.1 प्रस्तावना
27.2 विश्वव्यापीकरण और अर्थव्यवस्था
27.3 विश्वव्यापीकरण के लाभ
27.4 विश्वव्यापीकरण और भारतीय उद्योग
27.5 1991 से नीतियों में परिवर्तन
27.6 वित्तीय बाज़ारों का विश्वव्यापीकरण
27.7 विश्वव्यापीकरण की समस्याएँ
27.8 विश्वव्यापीकरण के लिए आवश्यक प्रयास
27.9 सारांश
27.10 शब्दावली
27.11 कुछ उपयोगी पुस्तकें
27.12 बोध प्रश्नों के उत्तर अथवा दिशा संकेत

27.0 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने से आप भारतीय अर्थव्यवस्था के विश्वव्यापीकरण के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। यह इकाई निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने में आपकी सहायता करेगी :

- विश्वव्यापीकरण की क्या वास्तविकता है और क्या भारत इसे अपना सका है?;
- विश्वव्यापीकरण की प्रक्रिया में निहितार्थों का परीक्षण।;
- भारत की अर्थव्यवस्था पर विश्वव्यापीकरण के प्रभाव का विश्लेषण।;
- विश्वव्यापीकरण की चुनौतियों का विभिन्न क्षेत्रक किस प्रकार से सामना करते हैं?;
- भारत की अर्थव्यवस्था के विश्वव्यापीकरण के लिए किन नीतियों का पालन करना होता है?; तथा
- सर्वोत्तम संभव परिणाम प्राप्त करने के लिए कौन सी स्थितियाँ आवश्यक होती हैं?

27.1 प्रस्तावना

हाल के वर्षों में जनसंपर्क माध्यमों और विज्ञान जगत् में विश्वव्यापीकरण के प्रति जितनी रुचि रही है उतना और किसी भी विशेष घटना के प्रति नहीं रही है। पिछले लगभग दस वर्षों से राष्ट्र का पूरा ध्यान आर्थिक सुधारों पर केन्द्रित रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था में विनियंत्रण, उदारीकरण और विश्वव्यापीकरण शब्द जब से आए, तभी से लोगों का उत्साह इनके प्रति ज्यों का त्यों कायम है। आमतौर पर किए जाने वाले किसी भी वाद-विवाद में इन शब्दों का प्रयोग अक्सर ही किया जाता है। आम आदमी इन शब्दों का अर्थ तो नहीं जानता, लेकिन वह इतना अवश्य जानता है कि इनसे अभिप्राय है उनके जीवन में मूलभूत परिवर्तनों को लाना। शिक्षित जनता अनुमान लगाती है कि उदारीकरण से अभिप्राय है नियमों और प्रणालियों की सख्ती को कम करना, जिससे व्यवसाय को अधिक कुशलतापूर्वक चलाया जा सके तथा विश्वव्यापीकरण से अभिप्राय होता है देशों के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी और निवेश के मुक्त प्रवाह पर लगाए गए संरक्षक अवरोधों को हटाना। यह भी माना जाता है कि व्यापार और उद्योग को पृथक्करण और परिरक्षित स्थिति से निकाल कर उन्हें प्रतियोगी पर्यावरण में लाने की आवश्यकता है। इसके लिए आवश्यक

होगा कि विनिर्माता, व्यापारी, श्रमिक या उपभोक्ता अपने को स्थितियों के अनुकूल बनाएँ।

इस समय मुख्य समस्या यह है कि यह सब कैसे किया जाए कि न्यूनतम हानि तथा अधिकतम लाभ हो। आमतौर पर इन तीन परस्पर संबंधित शब्दों और विशेषतः विश्वव्यापीकरण के संबंध में अनेक गोष्ठियों और कार्यशालाओं में विचार-विमर्श किए गए हैं। फिर भी जो लोग इन नीतियों के संबंध में बहुत कुछ जानते हैं, उन्होंने सरल शब्दों में इनकी व्याख्या अब तक नहीं की। नीति निर्धारक एवं गोष्ठियों में भाषण करने वाले लोग प्रायः यह मानकर चलते हैं कि विश्वव्यापीकरण के उद्देश्यों को सभी लोग भलीभांति जानते हैं। अतः अपने लेखों और भाषणों में वे इसी बात पर जोर देते हैं कि विश्वव्यापीकरण लाने के उपाय और साधन क्या हैं?

27.2 विश्वव्यापीकरण और अर्थव्यवस्था

विश्वव्यापीकरण की कुछ बहुत स्पष्ट विशेषताएँ हैं (के.एल.चुध, 1922)। विश्वव्यापीकरण उपभोक्ताओं के हितों पर जोर देता है तथा प्रतियोगिता को बढ़ावा देता है। यह सहकारी उद्यम है, जिसमें उपभोक्ताओं की सेवा कार्य में संगठन और जनता एक दूसरे के पूरक और सम्पूरक का काम करते हैं। इसी कारण आज यह अंतरराष्ट्रीय प्रवृत्ति चल पड़ी है कि किसी एक देश से कच्चे माल को प्राप्त किया जाए, किसी दूसरे देश में उससे उत्पादन किया जाए और फिर उत्पादित माल को समस्त विश्व में बेचा जाए। इसके फलस्वरूप विश्वव्यापीकरण प्रत्येक देश की भूमिका के बीच सहयोग बढ़ाता है। विश्वव्यापीकरण उत्पादों की गुणवत्ता के प्रति विश्वास पैदा करता है तथा ऐसी गुणवत्ता की गारंटी के रूप में विनिर्माता अपने उत्पादों का ब्रांड नाम देते हैं। इसका अर्थ है सीमाओं से मुक्त विश्व, जिसमें मुद्रा, विचारों और विशेषज्ञता का मुक्त रूप से आदान-प्रदान होता है तथा साझेदारी को बढ़ावा मिलता है, जिससे उपभोक्ताओं की सेवा भलीभाँति की जा सके। विश्वव्यापीकरण लोगों की गुणवत्ता पर निर्भर करता है जब तक लोग बहुत अच्छे नहीं होंगे तब तक किसी प्रकार की पहल, नवीन प्रक्रिया या समाधान संभव नहीं होगा। लोगों की गुणवत्ता और उनका प्रशिक्षण तथा उनकी दूरदृष्टि और प्रतिबद्धता विश्वव्यापीकरण की बुनियाद होते हैं।

विश्वव्यापीकरण के अंतर्गत व्यवसाय समष्टि दृष्टिकोण से व्यष्टि दृष्टिकोण की ओर मोड़ लेता है। इस संबंध में महत्त्वपूर्ण बात यह होती है कि विभिन्न देशों के व्यक्तियों और फर्मों के बीच कितना अधिक सम्पर्क और सहयोग हो पाता है। विश्वव्यापीकरण स्थान निर्धारण के संबंध में पूर्णतः विकेन्द्रीयकरण करना होता है। यह मानव संसाधनों का अंतरराष्ट्रीयकरण करेगा तथा भौगोलिक सीमाओं को हटाएगा।

विश्वव्यापीकरण इस बात पर जोर देता है कि निर्यात क्षेत्रक को राष्ट्र के व्यापक आर्थिक समुच्चयों का एवं प्रमुख अंग होना चाहिए। जब निर्यात प्रमुख आर्थिक समुच्चय का एक अंग होता है, तब औद्योगिक संवृद्धि बहुत बड़ी मात्रा में निर्यात क्षेत्रक पर निर्भर हो जाती है। जब औद्योगिक उत्पादन को निर्यात क्षेत्रक से संबद्ध कर दिया जाता है तब अप्रत्यक्ष रूप से अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रकों, विशेषतः बैंकिंग और सेवा क्षेत्रक, का भी निर्यात क्षेत्रक के साथ एकीकरण हो जाता है। अंततः संवृद्धि पर निर्भर करता है, अतः देशीय अर्थव्यवस्था के विकास की दर विश्व अर्थव्यवस्था के विकास की दर से अधिक नहीं हो सकती।

27.3 विश्वव्यापीकरण के लाभ

विश्वव्यापीकरण के लाभ क्या हैं? इनमें से कुछ को नीचे दिया जा रहा है :

i) प्रतियोगी पर्यावरण के होने के कारण संसाधनों के आबंटन में सुधार।
ii) अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के साथ आदान-प्रदान होने से अच्छी प्रौद्योगिकी, आगतें तथा मध्यवर्ती वस्तुएँ प्राप्त होती हैं।
iii) तकनीकी जानकारी और बड़े पैमाने की किफायतों का हस्तांतरण।

विश्वव्यापीकरण से अभिप्राय है पूर्ण प्रतियोगी बाज़ार प्रणाली, जिसमें आयात या निर्यात पर कोई अवरोध नहीं होता। लेकिन ऐसे पर्यावरण के लिए कंपनी क्षेत्रक को कुछ पूर्व शर्तों को पूरा करना होता है वे शर्तें हैं– विश्वव्यापी दृष्टि (global vision) और विश्वव्यापी क्षमता (global capability)। विश्वव्यापी दृष्टि से अभिप्राय है कि कंपनियों में योग्यता होनी चाहिए कि वे गतिशील प्रतियोगी पर्यावरण का विश्लेषण कर सकें तथा उनकी युक्तियाँ नई विश्वव्यापी अवसरों के अनुकूल होनी चाहिए अर्थात् उनमें विश्लेषण और नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए। इसके विपरीत विश्वव्यापी क्षमता से अभिप्राय है सही समय पर और सही स्थान पर उत्पादक मानवीय, प्रौद्योगिकीय और वित्तीय संसाधनों को एकत्रित करना और उनका उपयोग करना।

27.4 विश्वव्यापीकरण और भारतीय उद्योग

विश्वव्यापीकरण किए गए बाज़ार का मार्ग तीव्र गति से जाने के लिए होता है। धीमी गति से चलने वालों के लिए इस पर स्थान नहीं होता। इस बात को भलीभाँति पूर्वक समझना आवश्यक होता है। जब कोई देश अपने बाज़ारों को खोल देता है और विदेशों से नये निवेशकों और नई प्रौद्योगिकियों को आमंत्रित करता है, तब प्रमाणित पूर्तिकर्ता अपनी अच्छी किस्त की वस्तुओं, प्रौद्योगिकियों और सेवाओं को प्रतिभोगी कीमतों पर बेचने के लिए उस देश में आ सकते हैं। इस संबंध में चिंता की जाती है कि विश्वव्यापीकरण एकतरफा यातायात (one way traffic) बन जाएगा और स्थानीय बाज़ारों में आयात की गई वस्तुओं की भरमार हो जाएगी, जिससे देशीय उद्योगों और देश के श्रमिकों की हालत खराब हो जाएगी। परंतु हम यह भी जानते हैं कि पिछले पाँच दशकों में भारत के उद्योगों ने आधुनिक प्रौद्योगिकियों और कुछ उच्च कोटि के मानकों को आत्मसात कर लिया है, अतः कहा जा सकता है कि विश्वव्यापीकरण की आसान चुनौतियों का सामना करने की क्षमता उनमें है। आवश्यकता इस बात की है कि वर्तमान क्षमता का पूरी तरह से उपयोग करने और पड़ने वाले दबावों का सामना करने की युक्तिपूर्ण योजना बनाई जाए। जो कुछ भी हो, आज प्रश्न यह नहीं है कि विश्वव्यापीकरण है परंतु समस्या यह है कि जब कोई व्यवसाय विश्वव्यापीकरण के मार्ग पर चलता है तो उसे किन विधियों का प्रयोग करना होता है।

विश्वव्यापी प्रतियोगिता की क्षमता के लिए सूचना-अनिवार्यताओं पर भी ध्यान देना आवश्यक है। उत्पाद अधिमानों (product preferences), प्रौद्योगिक विकल्पों, कीमत-प्रवृत्तियों, प्रतियोगियों की शक्तियों और कमजोरियों, निवेश के स्रोतों आदि विषयों पर भारतीय उद्योग और व्यवसाय के पास उच्च कोटि की सूचना और जानकारी होनी चाहिए। उपर्युक्त के अभाव में कोई भी उद्योग आज के घातक प्रतियोगिता वाले विश्व-बाज़ार में टिक नहीं सकता।

कंपनियों के लिए आवश्यक हो जाता है कि सरकार द्वारा व्यवस्थित उदार पर्यावरणों का लाभ उठाते हुए वे प्रौद्योगिकी और डिज़ाइन, सामग्री प्राप्त करने, विनिर्माण प्रक्रियाओं, गुणवत्ता-स्तर, वित्त तकनीकों तथा निर्यात संवर्धन के लिए विपणन की गतिशीलता के रूप में अपने कामकाजों के सभी पक्षों को चुस्त बना दें। कंपनी की आंतरिक कार्यकुशलता में सुधार लाने तथा बाहर की बाज़ार सुविधाओं के संबंध में तुरंत अनुमान लगाने के लिए प्रभावी प्रबंध सूचना और नियंत्रण प्रणाली आवश्यक होती है। माल की सुपुर्दगी के संबंध में समय से निर्णय और उत्तर, गुणवत्ता का सुनिश्चित मानक, ग्राहकों के हित की नीतियाँ और लक्ष्य उन्मुखता आदि ऐसी शर्तें हैं जिन्हें विश्व बाज़ार में टिके रहने के लिए पूरा करना आवश्यक है।

प्रबंध के सभी क्षेत्रों में उत्पादिता में सुधार लाना होगा तथा सार्थक परामर्श सेवाओं और HRD तकनीकों के द्वारा समस्त श्रम शक्ति को नई वास्तविकताओं से अवगत कराना होगा। प्रत्येक कर्मचारी और अधिकारी में भावना पैदा करनी होगी कि ऊँचे लक्ष्यों की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। लागत पर नियंत्रण और बरबादियों को रोककर कीमतों में कमी की जा सकती है, जिससे अधिक आर्डर प्राप्त होंगे और इस प्रकार बिक्री के बढ़ने से लाभ की मात्रा बढ़ेगी। इन्हीं विधियों को अपनाकर जापान विश्व बाज़ार में नेता बन गया।

प्रतियोगिता प्रगति के लिए चालक शक्ति रही है। कार्यों और उपलब्धियों की पूर्णतः नई प्रणाली लाने के लिए अभिवृत्तियों और कार्य-विधियों को नया रूप देने की आवश्यकता हैं। प्रबंधक और पर्यवेक्षक यदि सिद्ध करना चाहता है कि लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है तो उसके नेतृत्व का आधार दृष्टांत होना चाहिए, आदेश नहीं। सराहनीय कार्य-निष्पादन के लिए सभी श्रेणी के कर्मचारियों को सम्मान एवं पुरस्कार देना उत्पादिता बढ़ाने में प्रोत्साहन का काम करता है।

व्यापार और निवेश उदारीकरण की नीतियों का बाह्य उन्मुखता को लाने में बहुत बड़ा हाथ होता है, जिससे देशीय लागत ढाँचे पर बाह्य लेखा परीक्षण भी हो जाता है। विपणन युक्तियाँ इस प्रकार की बनाई जानी चाहिए कि जो वर्तमान विश्व की आर्थिक पुनः संरचना के अनुरूप हो। प्रत्येक लक्ष्य देश की परंपरा और संस्कृति के अनुरूप विपणन युक्तियाँ बनाई जानी चाहिए तथा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यकतानुसार उनमें समय-समय पर संशोधन भी किए जाने चाहिए। युक्तियों का केन्द्र लचीलापन और प्रभावी स्थानीय संपर्क होने चाहिए। इस संबंध में निम्नलिखित तीन बातें महत्त्वपूर्ण हैं :

1) भारत को विश्व का प्रमुख उत्पादन केंद्र बनाना। अनेक क्षेत्रकों में, विशेषतः कृषि-आधारित उद्योगों में, भारत के पास कार्यकुशलता और निवेश के साधन हैं, जिनके फलस्वरूप विश्व में सबसे कम उत्पादन लागत इस देश में होती है। इन निवेशों की सहायता से विश्व बाज़ार के एक भाग को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। इस संबंध में आवश्यकता इस बात की है कि बाहर के साझेदारों के साथ संबंध कायम किया जाए तथा प्रत्येक क्षेत्रक के अनुरूप राष्ट्रीय नीति निर्धारित की जाए।

2) भारत की कंपनियाँ विश्व के बाज़ारों में जाएँ तथा विदेशों में भारत की बहु-राष्ट्रीय कंपनियाँ (multi-national) बन जाएँ। पहले वे अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों पर कब्जा करें और आगे चलकर समस्त विश्व में उत्पादन केंद्र भी बना लें। कुछ क्षेत्रकों में भारत को प्राकृतिक लाभ प्राप्त है, जैसे कि ज्ञान पर आधारित सेवाएँ तथा अनेक प्रकार के कृषि, औद्योगिक और फैशन उत्पाद।

3) विदेशी निवेशकों को आकर्षित करके उनके विश्व बाज़ार के लिए भारत को उनका आधार बनाना। भारत विश्व के उन देशों में से एक है जिनके पास बहुत बड़ी प्रशिक्षित जनशक्ति है। ऐसी जनशक्ति के अंतर्गत कृषक, वैज्ञानिक, इंजीनियर और पेशेवर व्यक्ति, उदयकर्ता तथा कुशल श्रमिक आ जाते हैं। विकसित देशों की तुलना में भारत में उपर्युक्त लोगों पर कम लागत आती है, जिससे भारत को बहुत अधिक प्रतियोगी लाभ प्राप्त होता है।

चालू खाते पर रुपये को पूर्ण परिवर्तनीय बना देने से भारत में केवल विदेशी निवेश की मात्रा ही नहीं बढ़ जाएगी बल्कि निर्यात-आयात भी बढ़ जाएगा।

यदि भारत विदेशी निवेश को आकर्षित करने में सफल होता है, विशेषतः आधारिक संरचना के क्षेत्र में, तो सरकार के लिए संभव होगा कि वह ग्रामीण क्षेत्रक में इसका पुनः निवेश कर सके। कुल अर्थव्यवस्था पर इसका लाभकारी प्रभाव होगा क्योंकि भारत की सम्पन्नता पूर्णतः ग्रामीण और कृषि अर्थव्यवस्था पर निर्भर है। इससे भारत में दूसरी बार हरित क्रांति को लाने में मदद मिलेगी।

विश्व की अर्थव्यवस्था में सफलतापूर्वक भाग लेने के लिए भारत के लिए आवश्यक है कि वह सामरिक संबंधों को कायम करे– केवल व्यापार गुटों (trading blocks) के ही बीच नहीं, बल्कि निगमों के भी बीच भी, केवल विदेशी साझेदारों और भारत के बीच ही नहीं बल्कि भारतीय उद्योगों के अंतर्गत भी साझेदारी को कायम करना आवश्यक है।

बोध प्रश्न 1

1) विश्वव्यापीकरण से आप क्या समझते हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

2) किसी अर्थव्यवस्था के लिए विश्वव्यापीकरण से क्या निहितार्थ होता है?

.....

.....

.....

.....

.....

3) भारतीय उद्योग के लिए विश्वव्यापीकरण के निहितार्थों पर प्रकाश डालिए।

.....

.....

.....

.....

.....

27.5 1991 से नीतियों में परिवर्तन

विश्वव्यापीकरण दो बातों को मान कर चलता है: (1) समष्टि स्तर पर राजनैतिक इच्छाशक्ति है, जो सरकार द्वारा पालन की जाने वाली विभिन्न नीतियों में प्रतिबिंबित होती है तथा (2) व्यष्टि स्तर पर कंपनी इच्छाशक्ति है, जिसकी स्थापना विश्वव्यापी दृष्टि और क्षमता के होने पर होती है। सरकार ने अपनी नीतियों में परिवर्तन किए हैं। इस संबंध में हम निम्नलिखित नीति-परिवर्तनों के संबंध मे विचार कर सकते हैं :

i) जुलाई 1991 में रुपये का लगभग 20 प्रतिशत दो स्तरीय अवमूल्यन। ऐसा करने का प्रयोजन यह था कि विश्व विनिमय करने के समान भारत के विनिमय दरों को तथा निर्यात को अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान किया जा सके जिससे आयात-अवरोधों से हुई क्षतियों को पूरा किया जा सके।

ii) उदारीकृत विनिमय दर प्रबंध प्रणाली (LERMS) के अंतर्गत रुपये की आंशिक परिवर्तनीयता प्रणाली को शुरू करना और फिर चालू खाते में रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता को आने देना।

iii) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को उदार कर दिया गया है तथा कुछ औद्योगिक क्षेत्रकों की 51%, 74% तथा 100% ईक्विटी अब विदेशी निवेशकों के हाथ में हो सकती है।

iv) जिन उत्पादों के लिए आयात लाइसेंस की आवश्यकता होती है, उनकी सूची को बहुत छोटा कर दिया गया है, जो इस बात का द्योतक है कि वस्तुओं के नियंत्रण के स्थान पर अब राजकोषीय नियंत्रण किया जा रहा है (सभी मात्रात्मक प्रतिबंधों को 1 अप्रैल 2001 तक हटा दिया जाएगा)।

v) आयात शुल्कों को कम कर दिया गया है।

vi) आयात किए जा रहे पूँजीगत पदार्थों के लिए भुगतान यदि ईक्विटी सहभागिता (equity participation) के लिए प्राप्त विदेशी मुद्रा से किया जाता है तो ऐसे पूँजीगत पदार्थों का आयात किसी विशेष लाइसेंस के बिना ही किया जा सकता है।

vii) अनेक मदों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया है तथा जो मदें प्रारंभ में सरकारी एजेंसियों के क्षेत्र में थी उन्हें अब निजी कंपनियों के लिए मुक्त किया जा रहा है।

viii) विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIS) को भारतीय पूँजी बाज़ार में निवेश करने की अनुमति दी जाती है। वास्तविकता तो यह है कि SEBI ने अनेक विदेशी संस्थागत निवेशकों को इस कार्य के लिए मान्यता प्रदान कर दी है और उन्होंने निवेश करना शुरू कर दिया है।

ix) भारतीय कंपनियों द्वारा EURO को फ्लोट करने के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए हैं।

x) विश्वव्यापीकरण के संबंध में एक प्रमुख कदम रहा है विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (FERA), 1973 में संशोधन करना। इसके फलस्वरूप इसके नियामक प्रावधानों को अत्यधिक शिथित करके FERA नई और उदार उद्योग, व्यापार और विनिमय दर नीतियों के अनुरूप कर दिया गया है। इस अधिनियम ने 40% से अधिक अनिवासी ईक्विटी वाली कंपनियों पर अनेक प्रतिबंधों को हटा दिया है तथा विदेशों में संयुक्त उद्यमों को स्थापित करने वाली भारतीय फर्मों पर से FERA नियंत्रणों को हटा दिया है। इस अधिनियम ने उन सभी परिवर्तनों को कानून का रूप दे दिया है जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) या केंद्रीय सरकार ने अधिसूचना जारी करके किया है। इन परिवर्तनों का संबंध जिन विषयों से है वे हैं– तकनीकी और प्रबंध सलाहकारों की नियुक्ति के संबंध में FERA कंपनियों को दी जाने वाली सुविधाएँ। ब्रांचों को खोलने, भारत में FERA कंपनियों द्वारा अचल संपत्ति को अधिग्रहण करना। उनके द्वारा धन ऋण पर लेना या निक्षेप को स्वीकार करना। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम को अधिक औचित्यपूर्ण बनाने के प्रयास में FERA, 1973 की लगभग आधे दर्जन धाराओं को इस अधिनियम से निकाल दिया गया क्योंकि समय के साथ-साथ इनका औचित्य समाप्त हो गया था। (वास्तविकता तो यह है कि स्वयं FERA 1973 का ही निरसन कर दिया गया है और उसके स्थान पर एक अधिक उदार कानून बनाया गया है जिसे विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (FEMA) कहा जाता है)।

xi) विदेशों में भारतीय संयुक्त उद्यमों (IJVA) को स्थापित करने के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धांत निश्चित किए गए है, जिसके फलस्वरूप 90% प्रस्ताव स्वतः अनुमोदन विधि के अंतर्गत आ जाएँगे। इस संबंध में मुख्य प्रयोजन है विदेशों में संयुक्त उद्यमों और पूर्णतः स्वामित्व के अधीन की नियंत्रित कंपनियों में भारत के ईक्विटी निवेश को उदार बनाना तथा भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशों में सहयोगी कंपनियों में सुधार लाना।

xii) जिन विदेशी प्रौद्योगिकी करारों के अंतर्गत उच्च प्राथमिकता वाले उद्योग आते है उन्हें एक निश्चित सीमा तक स्वतः अनुमोदन दे दिया जाता है।

xiii) भारतीय कंपनियाँ यदि कुछ शर्तों को पूरा कर देती हैं तो वे अब RBI से पहले से अनुमति लिए बिना ही विदेशी तकनीशियनों को अपनी सेवा में ले सकती हैं।

xiv) विदेशी निवेश को सुविधा प्रदान करने और उनका संवर्धन करने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (FIPB) का गठन किया गया है।

उपर्युक्त किए गए उपायों से यह सिद्ध हो जाता है कि उद्योगों के विश्वव्यापीकरण में सहायता कार्य को सरकार गंभीरतापूर्वक ले रही है जहाँ तक उद्योगों का प्रश्न है वे संरचनात्मक सुधारों के प्रति अधिकाधिक

रुचि दिखा रहे हैं। विश्वव्यापी सामरिक उपस्थिति बनाने के लिए एक औद्योगिक गठन का निर्माण किया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अनेक बहु-राष्ट्रीय कंपनियाँ (MNCs) भारतीय बाज़ार में प्रवेश कर रही हैं तथा भारत के व्यवसायी बढ़ी तेजी से विदेशों में उद्योग स्थापित कर रहे हैं।

विश्वव्यापी प्रतियोगिता की स्थिति में यदि अपने को जीवित रखना है तो भारतीय कंपनियों को अपने व्यवसाय की पुनः संरचना करनी होगी। इसके लिए उन्हें आने वाले परिवर्तनों को भलीभाँति समझना होगा। यह जानना होगा कि कार्यान्वयन की प्रक्रिया क्या है तथा किन समस्याओं का समाधान करना है।

27.6 वित्तीय बाज़ारों का विश्वव्यापीकरण

भारत अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाज़ारों का अधिकाधिक उपयोग करता है। विनिमय दर और ब्याज दर में उतार-चढ़ाव इस समय मुख्य चर हैं। विनिमय दरों की परिवर्तनशीलता पूँजी संचलन का आसन्न कारण तथा उसका प्रभाव बन गई है। किसी एक वित्तीय बाज़ार में होने वाली गतिविधियों का दूसरे बाज़ार में शीघ्र ही प्रभाव पड़ता है। आज वित्तीय बाज़ार है : (a) क्षेत्र के संबंध में विश्वव्यापी, (b) जिसमें मुद्रा और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में अंतर स्पष्ट नहीं है तथा तरलता में अविच्छिन्नता होती है, (c) जिनमें बैंकिंग प्रणाली द्वारा वित्तीय मध्यस्थता तथा अन्य गैर-बैंकिंग मध्यस्थता के बीच का अंतर अत्यंत अस्पष्ट होता जा रहा है और इसी के फलस्वरूप, (d) जहाँ वित्तीय संस्थाएँ अपने विशिष्ट गुणों को खोती जा रही हैं। गहन प्रतियोगिता के बीच भौगोलिक दूरी का स्थान व्यापारिक जगत् में होने वाली आर्थिक क्रियाओं ने ले लिया है। इन सबका परिणाम यह हुआ है कि अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाज़ार में मुद्रा का लेन-देन करने वाले तथा उनके साथ व्यापार करने वालों को अच्छे अवसर प्राप्त हो रहे हैं। इस समय विश्व का वित्तीय बाज़ार जितना सुबद्ध है तथा वह जितनी प्रकार की सेवाएँ प्रदान कर रहा है, वैसी स्थिति पहले कभी नहीं रही थी।

पूँजी संचलन, विनिमय दरों और ब्याज दरों में प्रवृत्तियों से भारत प्रभावित होता है। देशीय वित्तीय क्षेत्रक यदि अधिक उदार है तो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाज़ारों के साथ वह अच्छी तरह से पारस्परिक कार्यकलाप कर सकता है। भारत केवल अन्य देशों में होने वाली घटनाओं के उत्तर में कार्य करता रहा है। इसका अर्थ है कि वह घटनाओं का सामना करने वाला (events taker) है, घटनाओं को बनाने वाला (events maker) नहीं है। फिर भी बाहरी घटनाओं के प्रति तदर्थ उत्तर की नहीं बल्कि संरचित उत्तर की व्यवस्था की आवश्यकता है। अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों के साथ बाज़ारों के संबंधों को बढ़ाने के विवेकपूर्ण अनुक्रमी स्वरूप के निर्धारण का भी यह विषय है।

ऐसे संबंध के लिए सोच-विचार कर बनाए गए ढाँचे के रूप में बहुत सावधानी पूर्वक कदम उठाने होंगे। भारत की वित्तीय संस्थाओं और व्यवसाय की अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाज़ारों के कामकाजों में क्रमिक और संरचित रूप में प्रवेश करना तो चाहिए परंतु उसके साथ ही साथ आगे आने वाले वर्षों में भारतीय वित्त क्षेत्रक को यदि कार्यकुशल, स्पन्दनशील और सही ढंग होना चाहिए। विश्वव्यापीकरण की प्रक्रिया में दो स्पष्ट चुनौतियाँ होती हैं : (i) कंप्यूटरीकरण के द्वारा प्रौद्योगिकी की कोटि को उच्च करना और (ii) अंतरराष्ट्रीय वित्त बाज़ार के साथ संबंध को बढ़ाना और उसे मजबूत करना। भारत के वित्तीय क्षेत्रक ने अपने कामकाजों का यंत्रीकरण और कंप्यूटरीकरण करना देर से शुरू किया है। इस संबंध में खेद की बात तो यह है कि नई प्रौद्योगिकी की शुरुआत भी धीमी गति से हुई है। इससे भी अधिक खेद की बात यह है कि संस्थापित हार्डवेयर का उपयोग उसकी क्षमता के अनुसार नहीं हो रहा है। इस स्थिति को समाप्त करना होगा। नरसिम्हम समिति ने कंप्यूटरीकरण पर रंगराजन समिति के विचार की पुष्टि की है। आर्थिक नीति के स्तर पर अंतरराष्ट्रीय वित्त बाज़ार के साथ संबंध कायम करने के प्रश्न का ब्याज दरों पर नियंत्रण को हटाने और भारतीय रुपये को परिवर्तनशील बनाने के साथ घनिष्ठ संबंध है।

27.7 विश्वव्यापीकरण की समस्याएँ

बाहर की ओर देखने वाली तथा विश्वव्यापीकरण की नीति की अपनी कीमत होती है क्योंकि राष्ट्रीय

नीतियों के निर्धारण के संबंध में इसकी कुछ बाध्यताएँ होती हैं। ये बाध्यताएँ निम्नलिखित हैं :

i) अंतरराष्ट्रीय आर्थिक पर्यावरण में बहुत अधिक परिवर्तन हो गया है। औद्योगिक देशों में जब आर्थिक उतार-चढ़ाव होते हैं तो उन पर आश्रित विकासोन्मुख देशों को इन आर्थिक आघातों को सहना पड़ता है।

ii) एक ओर तो निर्यात-आयात के लिए किए गए निवेश और गुणक के द्वारा पैदा की हुई आय के बीच संबंध होता है तथा दूसरी ओर पैदा की हुई आय तथा आयात-प्रवृत्ति द्वारा आयातों के बीच संबंध होता है। ऐसा इसलिए होता है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के बहुत अधिक होने के कारण विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में विकासोन्मुख अर्थव्यवस्थाओं में आय-गुणक-प्रभाव अधिक होता है। इसके फलस्वरूप विकसित अर्थव्यवस्थाओं की अपेक्षा विकासोन्मुख अर्थव्यवस्थाओं में पैदा की गई माँग भी अपेक्षाकृत अधिक होती है। कुछ दी हुई परिस्थितियों में मांग में हुई यह वृद्धि देश के अंदर कीमत स्तर को ऊँचा कर देगी और यदि सीमांत आयात प्रवृत्ति घटती नहीं है तो इसके फलस्वरूप आयात इतना अधिक हो जाएगा कि आयात में समानुपातिक वृद्धि निर्यात में समानुपातिक वृद्धि से अधिक हो जाएगी और इस प्रकार व्यापार का संतुलन बिगड़ जाएगा।

iii) इसके फलस्वरूप इन बाज़ारों में माँग पक्ष में कार्टेल जैसी स्थिति हो जाएगी तथा देशों के अंदर तथा देशों के बीच पूर्तिकर्ताओं के बीच प्रतियोगिता जारी रहेगी। बाज़ार की इन परिवर्तित स्थितिओं के अनुरूप भारत को अपने आप को बनाना होगा। विश्व बाज़ार में अपने अंश को बढ़ाने की बात दूर की रही ऐसी स्थितियों में तो भारत के लिए अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए भी काफी संघर्ष करना होगा। अतः भारत के लिए उचित तो यही लगता है कि विश्व की वर्तमान स्थिति में वह निर्यात द्वारा संवृद्धि की प्रणाली पर बहुत अधिक आश्रित न रहे।

इस निष्ठुर बाज़ार-उन्मुख विश्व में भारत की मदद करने को जो भी गोडफादर तैयार होगा वह अपनी कीमत अवश्य ही ले लेगा। विश्वव्यापीकरण की प्रक्रिया को पीछे नहीं मोड़ा जा सकता। सफल वे ही लोग होते हैं, जो खतरा मोल लेने को तैयार रहते हैं। अधिक से अधिक यही किया जा सकता है कि विश्वव्यापीकरण की गति थोड़ी सी धीमी कर दी जाए। परंतु विश्वव्यापीकरण का लाभ उठाने के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना होता है। इसके लिए अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार करना आवश्यक होता है। भारत के लिए बहुत ही कम विकल्प हैं। एक तो यह है कि रुपये का मूल्य मुक्त रूप से गिरने दिया जाए। यदि रुपये के मूल्य का 'मूल्याओस' हो जाता है तो आयात द्वारा कीमतों में वृद्धि को रोकने की आशा समाप्त हो जाएगी।

विश्वव्यापी शासन के लिए वर्तमान ढाँचा कमजोर, तदर्थ और अप्रत्याशित है क्योंकि इसके अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक निर्णयों को लेने का काम अनेक संस्थाएँ करती है तथा इन संस्थाओं पर सम्पन्न देशों का प्रभुत्व है, जो प्रायः दुर्बल और गरीब विकासोन्मुख देशों के हितों के विपरीत काम करते हैं। अहितकर अंतरराष्ट्रीय आर्थिक पर्यावरण के बने रहने के कारण उदारीकरण, बाज़ार-उन्मुख सुधारों तथा बाहर की ओर दृष्टि वाली नीतियों के द्वारा विकासोन्मुख देशों का गतिरोध दूर करने का सतत प्रयास बेकार सिद्ध होगा। बाज़ारों में प्रवेश न होने देने, ऋण-भार, विश्वव्यापी मुद्रा, वित्तीय और व्यापार प्रणालियों में असमता, प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण पर अवरोधों, रियायती संसाधनों के प्रवाह के कम होते जाने तथा विकासोन्मुख देशों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रवाह के अनिच्छुक होने के कारण विकासोन्मुख देशों का तेजी से विकास नहीं हो पा रहा है।

देश की अनेक समस्याएँ और मुद्दे विश्वव्यापी एकीकरण के मार्ग में बाधक सिद्ध हो रहे हैं। ये निम्नलिखित हैं : (i) आय में अत्यधिक असमानता, (ii) अपर्याप्त आधारिक संरचना, (iii) अनुसंधान सुविधाओं की कमी तथा (iv) नौकरशाही के ढाँचे की समस्याएँ।

प्रो. पी.आर. बह्मानंद के अनुसार (1993) अर्थव्यवस्थाओं के लिए आवश्यक आधारिक संरचनाओं की व्यवस्था किए बिना ही उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे बाज़ार प्रणालियों के कार्यों को करें। इन आधारिक

संरचनाओं के घटक हैं : भंडार-गृह, संचार ढाँचा, व्यापारिक प्रतिष्ठान, संगठित स्टॉक एक्सचेंज, भावी बाज़ार, ब्रांचों के साथ बैंकिंग और वित्तीय संस्थाएँ, रोजगार कार्यालय, वाणिज्य-समाचार पत्र, विज्ञापन माध्यम, आदि। इस प्रकार बाज़ार का रूपांतरण शून्य में करने का प्रयास किया जा रहा है। भूमि, पूँजी और वित्तीय परिसंपत्तियों के रूप में निजी संपत्ति की उचित व्यवस्था नहीं की जा सकी है। बाज़ार अर्थव्यवस्था के लिए सूचना-आधार नहीं के बराबर है। जो काम सरकार को करने हैं उन्हें वह छोड़ती जा रही है, परंतु उसके लिए कोई नई संस्थागत व्यवस्था नहीं कर रही है। पूँजीवादी संस्थाओं और कानूनी ढाँचे का निर्माण किए बिना पूँजीवाद की स्थापना नहीं की जा सकती। इसके फलस्वरूप संक्रमण प्रक्रियाओं में लेनदेन की लागतें बहुत अधिक बढ़ गई हैं तथा अनौपचारिक वित्तीय, व्यापारिक और सूचना मध्यस्थ बहुत अधिक लाभ कमा रहे हैं। इसके फलस्वरूप विभिन्न सापेक्ष उत्पादन शृंखलाओं में लचीली आपूर्ती अनुसूचीओं के लिए अंतर्निहित आधार नहीं बन पाया है। इसके फलस्वरूप आयात पर बहुत अधिक दबाव पड़ रहा है तथा भुगतान शेष प्रतिकूल हो गया है।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF), विश्व बैंक (World Bank) और विश्व व्यापार संगठन (WTO) विकसित देशों की ओर से विकासोन्मुख देशों के लिए प्रहरी के रूप में उभर कर आ रहे हैं। इन देशों को दिए जाने वाले ऋण विकसित देशों में उत्पादित वस्तुओं के लिए माँग पैदा करते हैं। ऋण लेने वाले देशों पर दबाव बढ़ता जाएगा कि वे अपनी विनिमय दरों को नीची करें। इसके अतिरिक्त उन पर यह भी दबाव बढ़ेगा कि वे आयात शुल्कों की दर घटाएँ तथा देशीय बाज़ारों को आयातित वस्तुओं के लिए मुक्त करें।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता का विषय है कि विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाएँ बहुत बड़ी सुस्ती की अवस्था (recessionary phase) से गुजर रही हैं तथा अपनी आंतरिक और अंतरराष्ट्रीय प्राथमिकताओं का संतुलन बनाए रखने के लिए वे अधिकाधिक अंतर्मुखी होती जा रही हैं। अतः एक ओर तो वे विश्वव्यापीकरण करने और अपनी अर्थव्यवस्था को अन्य अर्थव्यवस्थाओं के लिए खोलने की बात करती हैं, परंतु दूसरी ओर वे NAFTA, पैसिफिक बेसिक ट्रेड ब्लॉक आदि जैसे प्रतिबंधित व्यापार गुट भी बनाती जा रही हैं। इस प्रकार इस समस्त प्रक्रिया में अवसर भी हैं और बाधाएँ भी हैं। देश के अंदर की बाधाओं को तो आवश्यक सुधारों द्वारा दूर किया जा सकता है परंतु विकसित देशों की संरक्षण-नीतियों के फलस्वरूप अर्थव्यवस्था को बाहर के लिए खोलने संबंधी व्यापार नीतियों और संरचनात्मक सुधारों की गति धीमी हो सकती है।

UNCTAD के व्यापार और विकास रिपोर्ट (TDR) 1997 के अनुसार अदृश्य शक्ति (बाज़ार) विश्वव्यापी स्तर पर और बहुत थोड़े से प्रतिकारी दबावों के अधीन कार्य करती है। इसने देशों को आगाह करना शुरू कर दिया है कि बाज़ारों और आर्थिक खुलेपन (economic openness) में उनके विश्वास को राजनैतिक घटनाएँ डिगा सकती हैं, क्योंकि इस बात के सबूत बढ़ते जा रहे हैं कि 'धीमी' से विकास तथा बढ़ती हुई असमानताएँ विश्व अर्थव्यवस्था की स्थायी विशेषताएँ बनती जा रही हैं।

विकासोन्मुख देशों के नीति-प्रयासों के साथ ही साथ अनुकूल विश्वव्यापी परिवेश भी होने चाहिए। विश्वव्यापीकरण की असंगतियों में एक यह है कि विश्व अर्थव्यवस्था का उदारीकरण अब तक ऐसे असंतुलित रूप में हुआ है कि विकासोन्मुख देशों को जिन क्षेत्रों में तुलनात्मक लाभ हो सकता है, उनमें उनके साथ भेदभाव किया जाता है, जिसके फलस्वरूप उनके विकास की संभावनाएँ अपेक्षाकृत कम हो रही हैं। इस प्रकार विकासोन्मुख देश जिन क्षेत्रकों में अधिक प्रतिस्पर्धी हैं, उनमें वस्तुओं के व्यापार का उदारीकरण अधिक धीमी गति से हुआ है। प्रमुख व्यापार गुटों ने अपने कृषि क्षेत्रक को संरक्षण देना जारी रखा है।

उत्तर के श्रम बाज़ार की समस्याओं के समाधान के लिए दक्षिण में विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात के प्रति नए प्रकार के संरक्षण की व्यवस्था करने का प्रयास किया जा रहा है। पूँजी और कुशल श्रम के संचलन की स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों को तो हटा लिया गया है परंतु अकुशल श्रम के आवागमन पर लगाए गए अनेक प्रतिबंधों को हटाने के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

परंतु उत्तर में आर्थिक संवृद्धि की दर को गिरने से यदि रोका नहीं गया तो विकासोन्मुख देशों को सहायता देने के संबंधी सभी प्रयास व्यर्थ होंगे। तीव्र गति से संवृद्धि और पूर्ण रोज़गार की नीतियों को पुनः अपनाने की आवश्यकता केवल इसीलिए नहीं है कि ऐसा करने से उत्तर में अत्यधिक बेरोजगारी तथा बढ़ती हुई मजदूरी में असमानता की समस्या को दूर करने में मदद मिलेगी, बल्कि इसकी इसलिए भी आवश्यकता है विश्वव्यापीकरण के प्रति जनसंख्या के दुष्प्रभाव (backlash) के खतरे को कम किया जा सके, अन्यथा विश्वव्यापी आर्थिक एकीकरण के लाभ जाते रहेंगे।

बोध प्रश्न 2

1) भारतीय वित्त बाज़ारों के लिए विश्वव्यापीकरण के निहितार्थों पर प्रकाश डालिए।

.....

.....

.....

.....

2) विश्वव्यापीकरण से संबंधित तीन समस्याओं का वर्णन कीजिए।

.....

.....

.....

.....

27.8 विश्वव्यापीकरण के लिए आवश्यक प्रयास

विश्व में विश्वव्यापीकरण होने तो लगा है लेकिन अधिकतर संगठन अभी तक इसके लिए तैयार नहीं हैं। फिर भी इसमें कोई संदेह नहीं कि अगली सदी में विकासक्षम होने के लिए सभी संगठनों, चाहे वे देश के अंदर के हों या अंतरराष्ट्रीय, के लिए आवश्यक होगा कि उनका दृष्टिकोण विश्वव्यापी हो, उनका कामकाज भले ही विश्वव्यापी न हो। विश्वव्यापी संगठन उन विभिन्न नई और परिष्कृत शक्तियों का परिणाम है जिन्होंने पिछले दशक में विश्व की अर्थव्यवस्था को एक रूप दिया है। ये हैं : (i) वित्त का आक्रामक और बड़ी मात्रा में संचयन तथा अपेक्षाकृत मुक्त प्रवाह वाला संसाधन टर्नर, (ii) सुपरिभाषित एवं कुशल संचार माध्यम, (iii) सूचना का हस्तांतरण और नियंत्रण प्रणाली, (iv) प्रौद्योगिकी का विकास तथा प्रयोग जिससे कम लागत पर वस्तुओं का उत्पादन होता है तथा (v) विश्वव्यापी प्रवृत्तियाँ।

वाणिज्य मंत्रालय द्वारा नियुक्त उद्योग और सरकार के एक संयुक्त कार्य-ग्रुप (working group) ने सिफारिश की है कि भारतीय उद्योग तथा वस्तुओं और सेवाओं की अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों में कंपनियों जैसा विज्ञापन का अभियान चलाया जाए। इसने दो चरणों वाली संवर्धन विधि का सुझाव दिया। पहले तो समस्त देश की छवि को उजागर किया जाए, जिससे इस देश के विरोध में कही जाने वाली बातों का उत्तर दिया जा सके। उसके बाद व्यापार और निवेश चलाया जाए।

सरकार और उद्योग यदि साथ-साथ कार्य करते हुए विशेष, निरंतर और समन्वित प्रयास करके भारत की छवि में सुधार ला सकें तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रसार करने तथा इस देश में बनी वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात करने में काफी मदद मिलेगी। भारत जैसे अनेक विकासोन्मुख देशों की छवि विश्व में बहुत अच्छी नहीं है। इसलिए आवश्यक है कि क्रेताओं और निवेशकों के एक लक्ष्य गुट में इस देश की वस्तुओं और सेवा के प्रति विश्वास पैदा कराया जाए।

इस संदर्भ में इस कार्य-ग्रूप ने उन बारह विभिन्न संवर्धन तकनीकों की सिफारिश की है जिनका प्रयोग अन्य देशों ने भी किया है। ये हैं : (i) सामान्य आर्थिक माध्यमों में विज्ञापन, (ii) व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेना, (iii) क्षेत्रकपरक माध्यमों में विज्ञापन, (iv) चुने हुए देशों को ट्रेड मिशन, (v) व्यापार और निवेश अवसरों पर सामान्य सूचना गोष्ठियाँ, (vi) प्रत्यक्ष डाक अभियान, (vii) चुने हुए देशों का उद्योग या क्षेत्रकपरक मिशन, (viii) क्षेत्रकपरक गोष्ठियाँ, (ix) फर्मपरक अनुसंधान और उसके बाद बिक्री, (x) व्यापार और निवेश परामर्श सेवाओं का प्रावधान, (xi) आवेदन पत्रों पर शीघ्र कार्यवाहियाँ और (xii) निवेश-उत्तर तथा व्यापार-उत्तर सेवाओं का प्रावधान।

इसके अतिरिक्त वाणिज्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय तथा अनेक व्यापार मंडलों जैसे अनेक निकायों का संबंध इसके साथ है तथा इस संबंध में कोई राष्ट्रीय और समन्वित प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। संवर्धनात्मक कार्यों को किसी एजेन्सी के हाथ में दे देना चाहिए, जिसका स्वामित्व और वित्तपोषण सरकार और उद्योग के हाथ में संयुक्त रूप से हो। परंतु इसके क्रिया-कलापों पर लागू होने वाले कायदे-कानून सामान्य प्रशासनिक सेवाओं पर लागू होने वाले कायदे-कानूनों से भिन्न होने चाहिए, यह सोसाइटी के रूप में पंजीकृत होनी चाहिए तथा इसे गैर-सरकारी निजी क्षेत्रक को संगठन के रूप में चलाया जाना चाहिए और इसकी कार्य-संस्कृति सरकार से भिन्न होनी चाहिए।

इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि इसके कर्मचारी बहुविज्ञानीय पेशेवर व्यक्ति होने चाहिएँ जिन्हें सरकार से नहीं बल्कि निजी क्षेत्रक से लिया गया हो। भारत की अर्थव्यवस्था तथा इसके उद्योग जैसे-जैसे विश्व की ओर उन्मुख होते जाएँगे वैसे-वैसे भारतीय उद्योगों के लिए आवश्यक हो जाएगा कि वे विस्तार के संबंध में विशेष रूप से ध्यान दें। विश्वसनीयता को बनाने के लिए आवश्यक है कि काफी लंबे समय तक लगातार प्रयास किया जाए। इसे ध्यान में रखते हुए कंफडरेशन ऑफ इंडियन इन्डस्ट्रीज़ (CII) ने भारतीय उद्योगों के लिए Do's और Don't बनाए हैं, जिससे वे अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भारतीय कंपनियों द्वारा प्रभावशाली ढंग से कार्य में सहायता कर सकें।

भारतीय अर्थव्यवस्था में आज जो संरचनात्मक सुधार किए जा रहे हैं, उनके पक्ष में सफाई देते हुए इन सुधारों के समर्थकों ने इस विवाद के केंद्र में प्रतियोगिता के प्रश्न को ला खड़ा किया है। उनकी दलीलें निम्नलिखित हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण करना आवश्यक है। विश्वव्यापीकरण की अपेक्षा है कि भारत के उत्पादक विश्व के बाज़ार में प्रतियोगी बनें। इन सुधारों के द्वारा ही वे प्रतियोगी हो सकते हैं। अतः सफलतापूर्वक विश्वव्यापीकरण के लिए ये सुधार पूर्व-आवश्यकताएँ हैं।

हाल के वर्षों में विश्वव्यापीकरण अपने आप में ही उद्देश्य बन गया है। यह खतरनाक है और हास्यास्पद भी है। विश्वव्यापीकरण को अपने आप में लक्ष्य नहीं मानना चाहिए। यह अंतिम लक्ष्य का साधन मात्र है। अंतिम लक्ष्य तो अर्थव्यवस्था में सुधार लाना है। संक्रमण काल से गुजरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को यदि अप्रत्याशित आपत्तियों से बचना है तो विशेषज्ञों को इस लक्ष्य को समझना होगा। संक्रमण शब्द से अभिप्राय बेचैनी से होता है और अत्यंत प्रत्याशाओं से भी। यदि हमें लगभग 100 करोड़ लोगों की प्रत्याशाओं को पूरा करना है तो उनकी बेचैनियों का सामना करना होगा। अर्थव्यवस्था के विश्वव्यापीकरण के लिए आंतरिक अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना आवश्यक होता है। यदि विश्वव्यापीकरण का अंतिम लक्ष्य दिया हुआ है और अर्थव्यवस्था के विश्वव्यापीकरण करने की पूर्व आवश्यकताएँ भी यदि दी हुई है तो अर्थव्यवस्था में सुधार लाने का अंतिम लक्ष्य साधन भी लगता है और साध्य भी। इस प्रकार से सरल रूप से व्याख्या करना बेचैनियों को दूर करने और प्रत्याशाओं को पूरा करने की सही विधि है।

विश्वव्यापीकरण की सैद्धांतिक मनोहरता का अपना ही आकर्षण है। इसके संदर्भ में यदि हम फर्मों के एक छोटे से सेट द्वारा परिवर्तनों का सामना करने का विश्लेषण करते हैं तो पाते हैं कि भारत में सफलता और असफलता के आंशिक स्पष्टीकरण को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। लेकिन भारत को ऐसे व्यावहारिक एवं लाभकारी प्रयोगों की आवश्यकता है जो फर्मों और व्यक्तियों के बहुत बड़े सेट पर लागू

हो। इसके लिए दृढ़ नीतियों की आवश्यकता होती है, जिससे अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत के स्थान को ऊँचा उठाने में सहायता मिल सके। इसके लिए आवश्यक है कि भारत पता लगावे कि वो किस क्षेत्र में कुशल है, जिससे वह सर्वोत्तम संभव परिणाम को प्राप्त कर सके। भारत और इसकी फर्में किस क्षेत्र में कुशल हैं, इसे पता लगाने की राष्ट्रीय स्तर पर प्रक्रिया की शुरुआत अभी तक नहीं की जा सकी है और विश्वव्यापीकरण के संबंध में सभी बातें इच्छामूलक और समय-पूर्व हैं। विश्वव्यापीकरण के लिए स्थैतिक और गतिक दोनों ही प्रकार की दक्षताओं की आवश्यकता होती है, हालाँकि स्थैतिक दक्षता (static efficiency) की तुलना में गतिक दक्षता की अधिक आवश्यकता होती है। परंतु भारत ऐसी अवस्था में है कि यह निश्चित नहीं है कि अर्थव्यवस्था की स्थैतिक दक्षता कितनी है। जो देश स्थैतिक दक्षता के संबंध में निश्चित नहीं है वह उन गतिक अतिरिक्त विकल्पों के संबंध में निश्चित नहीं हो सकता जो सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक होते हैं। राज्यों में पावर ब्लैकआउट का होना इस बात का उदाहरण है कि स्थैतिक दक्षता कितनी अविश्वसनीय और अनिश्चित है।

बोध प्रश्न 3

1) उन पाँच नई शक्तियों का वर्णन कीजिए जो विश्व अर्थव्यवस्था को आकार देती हैं।

.....

.....

.....

.....

.....

2) कुछ नई संवर्धन-तकनीकों का वर्णन कीजिए जिन्हें अपनाना भारत के लिए आवश्यक है।

.....

.....

.....

.....

.....

27.9 सारांश

देश की परेशानियों को कम करने और सम्पन्नशाली भविष्य की प्रत्याशाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है कि भारत यह जाने कि वह किन क्षेत्रों में कुशल है। अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रकों में यदि फर्मों को प्रतियोगी लाभ प्राप्त होता है तो भविष्य अवश्य ही सुनहरा होगा। अनेक क्षेत्रकों और उद्योगों में प्रतियोगी लाभ महत्त्वपूर्ण तत्त्वों के एक सेट पर निर्भर करता है जो अनेक क्षेत्रकों पर लागू होते हैं। इस सेट के अंतर्गत परिवहन सुविधाएँ, प्रशिक्षित श्रम, ऊर्जा, शिक्षा और स्वास्थ्य आ जाते हैं। निर्विवाद रूप से यह सेट अर्थव्यवस्था के केंद्र में होता है। इसकी स्थैतिक दक्षता में सुधार लाने की आवश्यकता है। तकनीकी संभाव्यता सेट को कायम रखने और उसका विस्तार करने के लिए यह आवश्यक है। ऐसा करने से विश्वव्यापीकरण का होना सुनिश्चित हो जाएगा।

"प्रत्येक वस्तु की उत्पादन लागत की पृष्ठभूमि में एक कहानी होती है। यह कहानी नवीन प्रक्रिया की, तकनीकी प्रगति की, आधुनिक श्रम प्रक्रिया की, कठोर श्रम की, पुरातन श्रम प्रक्रिया की या प्रदूषण की

हो सकती है। सभी वस्तुओं पर कीमत स्टीकर लगाकर बाज़ार इन कहानियों को दबा देता है तथा बहुत बातों को छिपा देता है। यह स्थिति उस अंधेरी रात जैसी है जिसमें सभी घोड़े धुंधले दिखाई पड़ते हैं। आज कोई भी देश बंद दरवाजों के पीछे नहीं रह सकता। अतः तृतीय विश्व के देशों के लिए आवश्यक है कि वे अपना विश्वव्यापीकरण करें। लेकिन विश्वव्यापी बाज़ार की आवश्यकताओं के अनुरूप किसी अर्थव्यवस्था को बनाने के समय यह भी याद रखना चाहिए कि विश्वव्यापीकरण विकास की प्रक्रिया को नहीं लाता बल्कि विकास की प्रक्रिया सफल विश्वव्यापीकरण की स्थिति को लाती है तथा इस प्रकार उसे भी शक्ति प्राप्त होती है।" (कल्याण, के. सान्याल, 1993)

इस संबंध में ध्यान देने की बात यह है कि नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर अमर्त्य सेन उद्योग और वाणिज्य पर सरकारी नियंत्रण को हटाने के पक्ष में हैं तथा वे विश्वव्यापीकरण का भी समर्थन करते हैं, बशर्ते कि जन-कल्याण की उपेक्षा न की जाए। निस्संदेह रूप से वे मानते हैं कि सही नीतियों का पालन करने से विश्वव्यापीकरण अधिक सम्पन्नता को लाएगा।

27.10 शब्दावली

प्रतिवाही प्रभाव (Backwash Effects) : यह स्थिति तब आती है जब अर्थव्यवस्था के एक क्षेत्र में संवृद्धि का अन्य क्षेत्रों में संवृद्धि पर विपरीत प्रभाव पड़ते हैं।

साझा बाजार (Common Market) : वह क्षेत्र (जिसमें प्रायः अनेक देश होते हैं) जिसमें सभी एक समान शर्तों पर व्यापार कर सकते हैं।

विनिमय दर (Exchange Rate) : वह दर जिस पर एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा के साथ विनिमय हो सकता है।

वित्त पूँजी (Financial Capital) : किसी कंपनी की भौतिक परिसंपत्ति के विपरीत चल संपत्ति।

लोकोपयोगी सेवाएँ (Public Utility) : बिजली, गैस, परिवहन, आदि जैसी अनिवार्य वस्तुएँ या सेवाएँ। कोई कंपनी या उद्यम जो इनमें से कुछ अनिवार्य वस्तुओं या सेवाओं का एकमात्र पूर्तिकर्ता है और इसके फलस्वरूप उस पर किसी न किसी रूप में सरकारी नियंत्रण रहता है।

व्यापार गुट (Trade Blocks) : कुछ देशों के समूह का संघ जो असदस्य देशों के खिलाफ सदस्य देशों के हितों की रक्षा करने के लिए बनाया जाता है। ऐसे व्यापार गुटों के कुछ उदाहरण है– यूरोपीय संघ (EU), उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार करार (NAFTA), ASEAN, APEC आदि। इन व्यापार गुटों के सदस्यों ने परस्पर व्यापार के सभी प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया है। EU के 15 देशों ने एक आंतरिक बाज़ार बनाया है। अन्य क्षेत्रीय व्यापार गुट भी इसी दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। आगे आने वाले कुछ वर्षों के अंतर्गत ही उन्होंने अपने अंतरराष्ट्रीय व्यापार के सभी अवरोधों को समाप्त करने का निर्णय किया है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के 60% से भी अधिक इस समय वर्तमान मुक्त व्यापार

क्षेत्रों या योजनाबद्ध मुक्त व्यापार क्षेत्रों के अंतर्गत ही हो रहा है। ऐसी स्थितियों में व्यापार में अधिक तेजी से विस्तार होता है।

27.11 कुछ उपयोगी पुस्तकें

Bhalla, G.S. (1995) :Glaobalisation and Farm Policy (Presidental Address delivered at the 54th Annual conference of the Indian Association of Agricultural Economics at Kolhapur) *Business Line,* January 12-27.

Brahmananda, P.R. (1993) : Global Economy, Plea for Realistic Scenario, *Financial Express,* December 30 & 31, January 1, 1993.

Chandra, Nirmal Kumar (1995) : China's Tryst with Globalisation, *Economical & Political Weekly*, Jan.28.

Chugh K.L. (1992) : The Role of Corporation in the New India, speech at the 81st Annual Genral Body Meeting of ITC Ltd., *Observer of Business and Politics.* August 10.

Dhingra, I.C. (2000) : *The Indian Economy: Environment and Policy*, Sultan Chand & Sons, New Delhi.

Kumar, T. Krishna (1996) : Management of Development in the Newly Emerging Global Economic Environment, *Economic and Political Weekly,* June 22.

Malhotra, R.N. (1989) : Globalisation of the International Economy and its Implications for Developing Countries in Asia, *Reserve Bank of India Bulletin,* October.

Narasimham. M. (1989) : *Globalisation of Financial Markets in India,* Exim Bank Commencement Day Annual Lecture 1989, Mumbai.

Palkhiwala, Nani A (1995) : Making Indian Industry Globally Competitive, *Forum of Free Enterprise,* Mumbai, May-June.

Patel, I.G. (1996) : Equity in a Global Society, *Forum of Free Enterprise,* Bombay, Jan-Feb.

Petras, James and Chronis Polychroniou (1997) : Critical Reflecitons on Globalisation *Economic and Political Weekly,* Sept. 6.

Rao, S.L. (1996) : Globalising Indian Companies, *The Economic Times,* March 4.

Roy, Sumit (1997) : Globalisation Structural Change and Poverty, Some Conceptual and Policy Issues, *Economic & Political Weekly,* Aug. 16-23, 1997.

OECD (1997) : *The World in 2020: Towards a New Global Age,* OECD; Paris.

Sanyal, Kalyan K (1993) : Paradox of Competitiveness and Globlisation of Underdevelopment, *Economic and Political Weekly,* June 19.

Verma, Kewal (1996) : When Globalisation Boomerangs, *Business Standard,* January 12.

27.12 बोध प्रश्नों के उत्तर अथवा दिशा संकेत

बोध प्रश्न 1

1) भाग 27.2 देखें

2) भाग 27.2 देखें

3) भाग 27.4 देखें

बोध प्रश्न 2

1) भाग 27.6 देखें

2) भाग 27.7 देखें

बोध प्रश्न 3

1) भाग 27.8 देखें

2) भाग 27.8 देखें।